5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(18)

PBR/निगरानी/धार/भू-रा/2017/2244

न्यायालय श्रीमान माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

रतनलाल पिता कन्हैयालाल फौत वारीस :-

आनंदीलाल पिता बजरंगलाल शर्मा जाति ब्राम्हण

धंधा खेती निवासी ग्राम तिरला तह. व जिला धार

द्वारा आज दि. 18.7.17 को प्रस्तुत

.........................निगरानीकर्ता

क्लर्क ऑफ कोर्ट 18-7-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

कुंवर हर्षवर्धन पिता सुरेन्द्रसिंह जाति राजपूत

निवासी ग्राम गंगानगर तिरला तह. व जिला धार

...............................विपक्षी

निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता का अत्यंत विनम्रता से अर्ज है कि ग्राम गंगानगर तिरला तहसील व जिला धार में स्थित भूमि सर्वे नंबर 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 111, 173, 115 कुल सर्वे नंबर 12 कुल रकबा 5.605 हैक्टर होकर उक्त भूमि के संबंध में राजस्व प्रकरण क्रमांक 10/1993-94/अ-6 में आज्ञा दिनांक 30.06.1994 को हुई जो प्रायवेट पक्ष के बीच है उक्त भूमि के संबंध में संबंधित खातेदार व उसके बाद कभी भी कोई अपील निगरानी नही की न करने का प्रश्न है। ऐसी दशा में उक्त आज्ञा 30.06.1994 की अंतिम थी प्रायवेट पक्ष के बीच थी ऐसी दशा में धारा 111 भूरासं मुजब वाद हो सकता नही है नही हुआ कब्जा है डेवलपमेंट है लेकिन कोई उज्र नही हुआ। उसने कोई दावा नही किया नाबालिग की कहानी सही नही है बालिग होने के अंदर 01 साल दावा नही है सारी कहानी व्यर्थ है ऐसी दशा में सन 1994 के बाद 21 साल बाद धारा 44 भूरासं की अपील अंदर मियाद नही है मियाद का प्रश्न पहले डिसाईड करना होगा मियाद की अर्जी पर जवाब लिया व तर्क सुनकर निर्णय के लिए रखा गया मियाद के प्रश्न पर मूल न्यायालय संतुष्ट नही हुए व उन्होने मूल अपील में जो याचना नही की व उनके समक्ष कोई याचना नही थी व जो अधिकारी ने आज्ञा दी है उनके समक्ष अथवा उनके द्वारा कोई याचना नही थी प्रायवेट

पक्ष के बीच पुनर्विचार के लिए 180 दिन में यह हो सकती थी ऐसी दशा में यह सब मामले में महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न थे जिनका निराकरण प्रथम होना था अपील अधिकारी को उनके समक्ष अगर कोई अपील विधिक रूप से अंदर मियाद पेश है तो वे आगे बढ सकते है अगर मियाद के लिए कोई संतोषजनक कारण नही है तो आगे बढने का प्रश्न है विधि मुजब आज्ञा की कापी पेश नही है न क्षमा बाबद कोई अर्जी न आज्ञा है फिर यकायक निर्णय के पैरा 5 में व अंतिम सहायता में उन्होने 30.06.94 की आज्ञा की प्रतिलिपि प्रस्तुत नही है व उसके लिए मैं दोषी नही हूं मूल रिकार्ड तलब करना था ऐसी दशा में उनके द्वारा 30.06.94 की आज्ञा व धारा 51 भूरासं का उपयोग कर रियु की अनुमति का निर्देश दिया है जबकि रियु बाबद कोई नोटिस नही है कोई याचना नही है प्रकरण में सुनवाई मियाद के प्रश्न पर कर ली व 6 माह तक प्रकरण रखा व यकायक अपील प्रकरण क्रमांक 36/2014–15 में दिनांक 05.11.2016 को आज्ञा दी व आज्ञा की जानकारी 28.12.2016 को हुई संबंधित विभाग से ली वैसे ही नकल की अर्जी दी व 04.01.17 का नकल मिली। अतः अगर कोई त्रुटि है तो क्षमा बाबद अलग से अर्जी दी है व निगरानी अंदर मियाद है नकल के दिन मुजरा जाते अंदर मियाद है रियु की आज्ञा व इजाजत संबंधी अनुमति की आज्ञा विधिक नही है प्रविष्ट निरस्ती की आज्ञा विधिक नही है पुनः रिमांड की आज्ञा धारा 49 लेण्ड रेवेन्यू कोर्ट मुजब जिसमें रिमांड के अधिकार विलुप्त हो गये है। ऐसी दशा में ये सब आज्ञाएं बिना चाह के बिना निवेदन के और रियु संबंधी आज्ञा जो मूल आज्ञा के 20 साल बाद है जो अधिकार रहित है मियाद बाहर है अतः उसे अपास्त बाबद याने आज्ञा दिनांक 05.11.2016 को अपास्त बाबद यह निगरानी अर्ज निम्न आधारो पर कानून सम्मत सादर सदभावनापूर्वक पेश है:–

आधार निगरानी

1– यह कि विद्वान अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधिक नही है स्थिर रखने योग्य है।

2– यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष धारा 44 म0प्र0 भूरासं मुजब अथवा 44(2) म0प्र0 भूरासं मुजब तहसील आज्ञा के 45 दिन में नही है तो 20 साल बाद बेरून मियाद अपील मियाद अर्जी के निकाल के पूर्व जिसका हमने घोर विरोध किया ह लेखी बहस पेश की है व स्वयं ने आदेश पत्रिका में मियाद की अर्जी सुनवाई की यह उल्लेख किया व उससे हटकर बिना सुने एक नवीन आज्ञा धारा 51 भूरासं में दी जबकि उन

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निग./धार/भू.रा./2017/2244 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.04.2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 25.09.2018 से भू-राजस्व संहिता संशोधन 2018 प्रभावशील हो जाने से अब अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुनरीक्षण का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा किया जाना है। अत: संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर, धार को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हो। **अध्यक्ष**	